

कार्यालय प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय, गुमला।

विज्ञापन संख्या- 01/2025.

दिनांक- 4/3/25

नीलामी

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार श्रेडर मशीन द्वारा नष्ट किए गए लगभग 500 किलोग्राम कटे हुए कागज (अदालती रिकॉर्ड) एवं अगले तीन सालों तक कटने वाले कागज (अदालती रिकॉर्ड) की खरीद के लिए इच्छुक पार्टियों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन संलग्न प्रारूप में सिविल कोर्ट के नजारात में जमा किये जायेंगे। नीलामी निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी

1 नीलामी की तिथि एवं समय 20 मार्च 2025 प्रातः 11:00 बजे

2. स्थान: सिविल कोर्ट का पुस्तकालय, गुमला

3. सामग्री का निरीक्षण: रिकॉर्ड कीपर की पूर्व अनुमति से किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक कटी हुई सामग्री का निरीक्षण किया जा सकता है।

4. आरक्षित मूल्य: रु. 6 प्रति किलोग्राम

5. बयाना राशि जमा रु. 500 (असफल बोलीदाताओं को वापसी योग्य)

नियम और शर्तें

1. इच्छुक पार्टियों को निर्धारित प्रारूप में प्रति किलोग्राम दर का उल्लेख करते हुए अपना सीलबंद कोटेशन 19 मार्च, 2025, शाम 5:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

2. प्रत्येक बोलीदाता को "प्रभारी न्यायाधीश, सिविल कोर्ट, गुमला" के पक्ष में गुमला में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि जमा करनी होगी।

3. कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

- पैन कार्ड की कॉपी
- जीएसटी पंजीकरण की प्रति (यदि लागू हो)
- वैध आईडी प्रमाण की प्रति (आधार कार्ड/वोटर आईडी/डाइविंग लाइसेंस)
- एड्रेस प्रूफ की कॉपी
- घोषणा कि कटी हुई सामग्री का उपयोग केवल पुनर्चक्रण प्रयोजनों के लिए किया जाएगा

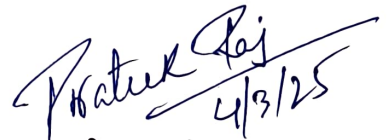
4. उच्चतम बोली लगाने वाले को अपनी लागत पर 7 दिनों के भीतर सामग्री हटाने की व्यवस्था करनी होगी।

5. सामग्री का वजन डिलीवरी के समय बोली लगाने वाले और अदालत के अधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित किया जाएगा।

6. बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

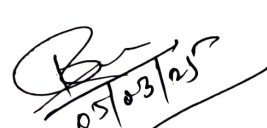
7. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रभारी न्यायाधीश, सिविल न्यायालय, गुमला का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अधिक जानकारी और कोटेशन प्रारूप के लिए कृपया अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से संपर्क करें।


4/3/25

प्रभारी न्यायाधीश

व्यवहार न्यायालय गुमला


05/03/25

The Principal District and Sessions Judge,
Civil Court, Gumla
Jharkhand

Subject: Quotation for Purchase of Shredded Court Records

1. Name of the Bidder: _____
2. Address: _____
3. Contact Number: _____
4. Email ID: _____
5. PAN Number: _____
6. GST Registration Number (if applicable): _____
7. Rate Quoted: Rs. _____ per kilogram (in figures)
Rupees _____ per kilogram (in words)
8. ***Details of Earnest Money Deposit*:**
 - DD Number: _____
 - Date: _____
 - Bank: _____
 - Amount: Rs. _____

***Declaration*:**

I/We hereby declare that I/we have read and understood all the terms and conditions mentioned in the auction notice and agree to abide by them. I/We also declare that the shredded material will be used only for recycling purposes.

Date: _____

Place: _____

Signature of the Bidder

***Enclosures*:**

1. Copy of PAN Card
2. Copy of GST Registration (if applicable)
3. Copy of ID Proof
4. Copy of Address Proof
5. Demand Draft for Earnest Money Deposit

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार श्रेडर मशीन द्वारा नष्ट किए गए लगभग 500 किलोग्राम कटे हुए कागज (अवालती रिकॉर्ड) एवं अगले तीन सालों तक फटने वाले कागज (अवालती रिकॉर्ड) की खरीद के लिए इच्छुक पार्टियों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन संलग्न प्रारूप में सिविल कोर्ट के नजारेत में जमा किये जायेंगे। नीलामी निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी।

1. नीलामी की तिथि एवं समय 20 मार्च 2025 प्रातः 11:00 बजे
 2. स्थान: सिविल कोर्ट का पुस्तकालय, गुमला
 3. सामग्री की निरीक्षण: रिकॉर्ड कीपर की पूर्व अनुमति से किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक कटी हुई सामग्री का निरीक्षण किया जा सकता है।
 4. आरक्षित मूल्य रु0 6 प्रति किलोग्राम
 5. बयाना राशि जमा रु0 500 (असफल बोलीदाताओं को वापसी योग्य)
- नियम और शर्तें**
1. इच्छुक पार्टियों को निर्धारित प्रारूप में प्रति किलोग्राम दर का उल्लेख करते हुए अपना सीलबंद कोटेशन 19 मार्च 2025, शाम 5:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
 2. प्रत्येक बोलीदाता को "प्रभारी न्यायाधीश, सिविल कोर्ट, गुमला" के पक्ष में गुमला में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि जमा करनी होगी।
 3. कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :-
 - पैन कार्ड की कॉपी
 - जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रति (यदि लागू हो)
 - वैध आई.डी. प्रमाण की प्रति (आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्रायिंग लाइसेंस)
 - एड्रेस प्रूफ की कॉपी
 - घोषणा कि कटी हुई सामग्री का उपयोग केवल पुनर्चक्रण प्रयोजनों के लिए किया जाएगा
 4. उच्चतम बोली लगाने वाले को अपनी लागत पर 7 दिनों के भीतर सामग्री हटाने की व्यवस्था करनी होगी।
 5. सामग्री का वजन डिलीवरी के समय बोली लगाने वाले और अदालत के अधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित किया जाएगा।
 6. बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
 7. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रभारी न्यायाधीश, सिविल न्यायालय, गुमला का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अधिक जानकारी और कोटेशन प्रारूप के लिए कृपया अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से संपर्क करें।

प्रभारी न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय गुमला

To:

The Principal District and Sessions Judge,
Civil Court, Gumla
Jharkhand

Subject: Quotation for Purchase of Shredded Court Records

1. Name of the Bidder: _____
2. Address: _____
3. Contact Number: _____
4. Email ID: _____
5. PAN Number: _____
6. GST Registration Number (if applicable): _____
7. Rate Quoted: Rs. _____ per kilogram (in figures)
Rupees _____ per kilogram (in words)
8. *Details of Earnest Money Deposit*:
 - DD Number: _____
 - Date: _____
 - Bank: _____
 - Amount: Rs. _____

Declaration:

I/We hereby declare that I/we have read and understood all the terms and conditions mentioned in the auction notice and agree to abide by them. I/We also declare that the shredded material will be used only for recycling purposes.

Date: _____
Place: _____

Enclosures:

1. Copy of PAN Card
2. Copy of GST Registration (if applicable)
3. Copy of ID Proof
4. Copy of Address Proof
5. Demand Draft for Earnest Money Deposit

PR 347824 Law(24-25)D

Signature of the Bidder